

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-206/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में बध-पत्र के अंतर्गत निम्नांकित चिकित्सक को सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति के निमित्त बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है -

Sl No.	Name	D.O.B	Subject	Appointment Order	Posting Plance
01	MANISHA PRASAD	Mar 20 1994	MS(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	91(17) 16 01 2024	RH, BARHIYA, LAKHISARAI

2. उपर्युक्त चिकित्सक जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पद के काउंसिलिंग में मान्य होगा।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17/विविध-01-206/2024 28 (17)

पटना, दिनांक :- 9/01/2025

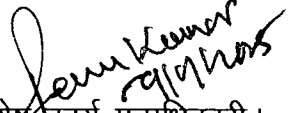
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य बन्ध-पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को किसी भी परिस्थिति में उक्त काउंसिलिंग/साक्षात्कार हेतु उनके मूल प्रमाण पत्र उन्हें नहीं देगे।

प्रतिलिपि:- संबंधित बध-पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
H